भारत सरकार

भारत
का
विधि
आयोग

सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (एआरटी) क्लीनिकों और साथ ही स्थानापन्नता सरोगेसी के प्रति पक्षकारों के अधिकारों और बाध्यताओं को विनियमित करने के लिए विधान की आवश्यकता

रिपोर्ट सं. 228

अगस्त, 2009

भारत का विधि आयोग

(रिपोर्ट सं. 228)

सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (एआरटी) क्लीनिकों के और साथ ही स्थानापन्नता (सरोगेसी) के प्रति पक्षकारों के अधिकारों और बाध्यताओं को विनियमित करने के लिए विधान की आवश्यकता

केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार को डा. न्यायमूर्ति एआर. लक्ष्मणन्, अध्यक्ष, भारत का विधि आयोग द्वारा 05 अगस्त, 2009 को प्रस्तुत की गई ।

18वें विधि आयोग का 1 सितंबर, 2006 से तीन वर्ष की अवधि के लिए भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग, नई दिल्ली के तारीख 16 अक्तूबर, 2006 के आदेश सं. ए-45012/1/2006-प्रशा.III (वि.का.) द्वारा गठन किया गया था ।

विधि आयोग अध्यक्ष, सदस्य-सचिव, एक पूर्णकालिक सदस्य और 7 अंशकालिक सदस्यों से मिलकर बना है ।

अध्यक्ष

माननीय डा. न्यायमूर्ति एआर. लक्ष्मणन्

सदस्य-सचिव

डा. ब्रह्म ए. अग्रवाल

पूर्णकालिक सदस्य

प्रो. डा. ताहिर महमूद

अंशकालिक सदस्य

डा. (श्रीमती) देविन्दर कुमारी रहेजा
डा. के. एन. चंद्रशेखरन पिल्लै
प्रो. (श्रीमती) लक्ष्मी जमभोलकर
श्रीमती कीर्ति सिंह
श्री न्यायमूर्ति आई. वेंकटनारायण
श्री ओ. पी. शर्मा
डा. (श्रीमती) श्यामल्हा पप्पू

विधि आयोग भारतीय विधि संस्थान भवन,
दूसरी मंजिल, भगवान दास रोड,
नई दिल्ली - 110 001 में अवस्थित है

विधि आयोग कर्मचारिवृंद

सदस्य - सचिव

डा. ब्रह्म ए. अग्रवाल

अनुसंधान कर्मचारिवृंद

श्री सुशील कुमार	:	संयुक्त सचिव एवं विधि अधिकारी
श्रीमती पवन शर्मा	:	अपर विधि अधिकारी
श्री जे. टी. सुलक्षण राव	:	अपर विधि अधिकारी
श्री ए. के. उपाध्याय	:	उप विधि अधिकारी
डा. वी. के. सिंह	:	सहायक विधि सलाहकार
डा. आर. एस. श्रीनेत	:	अधीक्षक (विधिक)

प्रशासनिक कर्मचारिवृंद

श्री सुशील कुमार	:	संयुक्त सचिव एवं विधि अधिकारी
श्री डी. चौधरी	:	अवर सचिव
श्री एस. के. बसु	:	अनुभाग अधिकारी
श्रीमती रजनी शर्मा	:	सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी

इस रिपोर्ट का पाठ इंटरनेट पर http://www.lawcommissionofindia.nic.in पर उपलब्ध है

© भारत सरकार
भारत का विधि आयोग

इस दस्तावेज का पाठ (सरकारी चिह्नों को छोड़कर) किसी रूप विधान में या किसी माध्यम से निःशुल्क प्रत्युत्पादित किया जा सकता है परंतु यह कि उसको शुद्ध रूप से प्रत्युत्पादित किया जाए और उसका भ्रामक संदर्भ में उपयोग न किया जाए । इस सामग्री को सरकार के प्रतिलिप्यधिकार के रूप में अभिस्वीकार किया जाना चाहिए और दस्तावेज का नाम विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए ।

इस रिपोर्ट से संबंधित किसी पूछताछ के लिए सदस्य-सचिव को डाक द्वारा भारत का विधि आयोग, दूसरी मंजिल, भारतीय विधि संस्थान भवन, भगवान दास रोड, नई दिल्ली- 110 001, भारत के पते पर पत्र भेजकर या ई-मेल द्वारा : **lci-dla@nic.in** पर संबोधित किया जाना चाहिए ।

डा. न्यायमूर्ति एआर. लक्ष्मणन्
(भूतपूर्व न्यायाधीश, भारत का उच्चतम न्यायालय)
अध्यक्ष, भारत का विधि आयोग

भा. वि. सं. भवन (दूसरा तल),
भगवान दास रोड,
नई दिल्ली-110001
टेली. : 91-11-23384475
फैक्स : 91-11-23383564

अ.शा.पत्र सं. 6(3)157/2009-वि.आ.(वि.अ.)

05 अगस्त, 2009

प्रिय डा. वीरप्पा मोइली जी,

विषय : सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (एआरटी) क्लीनिकों के और साथ ही स्थानापन्नता (सरोगेसी) के प्रति पक्षकारों के अधिकारों और बाध्यताओं को विनियमित करने के लिए विधान की आवश्यकता ।

मैं उपर्युक्त विषय पर भारत के विधि आयोग की 228वीं रिपोर्ट इसके साथ अग्रेषित कर रहा हूं ।

2. विश्व का दूसरा और भारत का पहला आईवीएफ (विट्रो में) बेबी, **कनुप्रिया** बनाम **दुर्गा** का जन्म, ग्रेट ब्रिटेन में 25 जुलाई, 1978 को जन्म लेने वाले लूइस जॉय ब्राउन, संसार के प्रथम आईवीएफ बालक के लगभग दो मास पश्चात् कोलकाता में 03 अक्तूबर, 1978 को हुआ था । उसके पश्चात् से सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (एआरटी) के क्षेत्र का शीघ्रता से विकास हुआ है ।

3. एआरटी पद्धतियों का विकास इस तथ्य की मान्यता है कि चिकित्सीय दशा के रूप में बांझपन विवाहित जोड़े के समग्र कल्याण में एक बड़ी बाधा है और इसको भारत के समान पितृ प्रधान समाज में विशेष रूप से अनदेखा नहीं किया जा सकता है । पत्नी के रूप में किसी स्त्री का आदर केवल तभी किया जाता है जब वह किसी बच्चे की मां बन जाती है जिससे कि उसके पति का पुरुषत्व और लैंगिक क्षमता साबित होती है और वंश परंपरा चालू रहती है । कुछ लेखक इसे निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं : माता-पिता बच्चे की शारीरिक रूप से संरचना करते हैं जबकि बच्चा माता-पिता की सामाजिक रूप से संरचना करता है । तथापि, समस्या तब उठती है जब माता-पिता पारंपरिक जैवीय साधनों के माध्यम से बच्चे की संरचना करने में असमर्थ होते हैं । बांझपन को एक बड़ी समस्या के रूप में देखा जाता है क्योंकि खून का रिश्ता और पारिवारिक बंधन संतान पर निर्भर होते हैं । ऐसी दशा में स्थानापन्नता एक सर्वोच्च रक्षक के रूप में सामने आती है ।

निवास : संख्या 1, जनपथ, नई दिल्ली 110001. टेलीफोन नं. : 91-11-23019465, 23793488, 23792745
ई-मेल : ch.lc@sb.nic.in

4. स्थानापन्नता से संबंधित विधिक विवाद्यक बहुत जटिल है और उन्हें व्यापक विधान द्वारा संबोधित किए जाने की आवश्यकता है । स्थानापन्नता में विभिन्न हितों का संघर्ष अंतर्वलित हैं और उनका समाज की प्राथमिक इकाई अर्थात् कुटुम्ब पर समझ में न आने योग्य प्रभाव होता है । इस उलझे हुए मुद्दे में विधि का हस्तक्षेप न करना ऐसे समय पर उचित नहीं होगा जब विधि को मानव स्वतंत्रता के प्रबल रक्षक के रूप में और सकारात्मक हकदारियों के वितरण के उपकरण के रूप में कार्य करना है । इसके साथ ही ऐसे सामाजिक उद्देश्यों और प्रयोजनों के उचित निर्धारण के बिना, जिनकी पूर्ति स्थानापन्नता कर सकती है, अस्पष्ट नैतिक आधारों पर उसका प्रतिषेध करना अतार्किक होगा । सक्रिय विधायी हस्तक्षेप नई प्रौद्योगिकी अर्थात् एआरटी का सही उपयोग सुकर बनाने के लिए और स्थानापन्नता को वैध बनाने के लिए अब तक अपनाई गई आवरणात्मक पहुंच को छोड़ने के लिए अपेक्षित है । इस समय की आवश्यकता यह है कि परमार्थवादी स्थानापन्न व्यवस्थाओं को वैध बनाकर एक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाए और इसके व्यवसायीकरण का प्रतिषेध किया जाए ।

5. इस विषय को अध्ययन के लिए स्वप्रेरणा से लिया गया था । स्थानापन्नता के प्रति पक्षकारों के अधिकारों और बाध्यताओं तथा स्थानापन्न बालक के अधिकारों के संबंध में ऐसे अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय, जो प्रस्तावित विधान में सम्मिलित किए जाने चाहिए, इस रिपोर्ट में दिए गए है ।

सादर

भवदीय,

ह/-

(डा. न्यायमूर्ति एआर. लक्ष्मणन्)

डा. एम. वीरप्पा मोइली,
केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री,
भारत सरकार,
विधि और न्याय मंत्रालय,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली - 110001

सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (एआरटी) क्लीनिकों और साथ ही स्थानापन्नता (सरोगेसी) के प्रति पक्षकारों के अधिकारों और बाध्यताओं को विनियमित करने के लिए विधान की आवश्यकता

विषय-वस्तु

		पृष्ठ सं.
I :	प्रस्तावना	9-16
II :	सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक और नियम, 2008 का प्रारूप	17-19
III :	स्थानापन्नता-'अभिशाप या वरदान' पर सेमिनार	20-24
IV :	निष्कर्ष और सिफारिश	25-27

1. प्रस्तावना

1.1 विश्व का दूसरा और भारत का पहला आईवीएफ (विट्रो में) बेबी, **कनूप्रिया** बनाम **दुर्गा** का जन्म, ग्रेट ब्रिटेन में 25 जुलाई, 1978 को जन्म लेने वाले लूईस जॉय ब्राउन, संसार के प्रथम आईवीएफ बालक के लगभग दो मास पश्चात् कोलकाता में 03 अक्तूबर, 1978 को हुआ था । उसके पश्चात् से सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (आईआरटी) के क्षेत्र का शीघ्रता से विकास हुआ है ।

1.2 एआरटी पद्धतियों का विकास इस तथ्य की मान्यता है कि चिकित्सीय दशा के रूप में बांझपन विवाहित जोड़े के समग्र कल्याण में एक बड़ी बाधा है और इसको भारत के समान पितृ प्रधान समाज में विशेष रूप से अनदेखा नहीं किया जा सकता है । पत्नी के रूप में किसी स्त्री का आदर केवल तभी किया जाता है जब वह किसी बच्चे की मां बन जाती है जिससे कि उसके पति का पुरुषत्व और लैंगिक क्षमता साबित होती है और वंश परंपरा चालू रहती है । कुछ लेखक इसे निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं : माता-पिता बच्चे की शारीरिक रूप से संरचना करते हैं जबकि बच्चा माता-पिता की सामाजिक रूप से संरचना करता है । तथापि, समस्या तब उठता है जब माता-पिता पारंपरिक जैवीय साधनों के माध्यम से बच्चे की संरचना करने में असमर्थ होते हैं । बांझपन को एक बड़ी समस्या के रूप में देखा जाता है क्योंकि खून का रिश्ता और पारिवारिक बंधन संतान पर निर्भर होते हैं । ऐसी दशा में स्थानापन्नता एक सर्वोच्च रक्षक के रूप में सामने आती है ।

स्थानापन्नता - अर्थ

1.3 'स्थानापन्नता' शब्द का मूल लैटिन में 'सरोगेटस' है, जो 'सरोगेअर' का भूतकालिक कृदन्त है, और जिसका अर्थ है स्थानापन्नता अर्थात् दूसरे व्यक्ति के स्थान पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति । इस प्रकार एक स्थानापन्न मां ऐसी

स्त्री है जो दूसरी स्त्री की ओर से शिशु को गर्भ में धारण करती है, चाहे वह ऐसा अपने डिम्ब से या अपने गर्भाशय में दूसरी स्त्री के उर्वरक डिम्ब के आरेपण से करती है । ब्लेक की लॉ डिक्शनरी (विधि शब्दावली) के अनुसार, स्थानापन्नता से अभिप्रेत है दूसरे व्यक्ति के लिए किसी बच्चे को गर्भ में रखने और जन्म देने की प्रक्रिया । न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका 'स्थानापन्न मातृत्व' को ऐसी पद्धति के रूप में परिभाषित करता है जिसमें कोई स्त्री किसी ऐसे दम्पत्ति के लिए बच्चे को गर्भ में रखती है, जो सामान्य रूप से बच्चों को जन्म देने में असमर्थ है । मानव जनन क्षमता और भ्रूण-विज्ञान संबंधी जांच समिति की रिपोर्ट या वारनोक रिपोर्ट (1984) स्थानापन्नता को ऐसी पद्धति के रूप में परिभाषित करती है जिसके द्वारा एक स्त्री दूसरी के लिए किसी बच्चे को इस आशय से गर्भ में धारण करती है कि बच्चे को जन्म के पश्चात् सौंप दिया जाना चाहिए ।

1.4 ब्लैक की लॉ डिक्शनरी स्थानापन्नता को दो वर्गों में वर्गीकृत करती है : 'गर्भधारण संबंधी स्थानापन्नता' और 'पारंपरिक स्थानापन्नता' । उन्हें निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है :

> **गर्भधारण संबंधी स्थानापन्नता :** कोई गर्भ जिसमें एक स्त्री (आनुवंशिक मां) डिम्ब प्रदान करती है, जिसे उर्वरक बनाया जाता है और दूसरी स्त्री (स्थानापन्न मां) भ्रूण को गर्भ में रखती है और बच्चे को जन्म देती है ।
>
> **पारंपरिक स्थानापन्नता :** कोई गर्भ जिसमें एक स्त्री अपना स्वयं का डिम्ब प्रदान करती है, जिसे कृत्रिम वीर्य सेचन द्वारा उर्वरक बनाया जाता है और तत्पश्चात् भ्रूण को गर्भ में रखती है और दूसरे व्यक्ति के लिए बच्चे को जन्म देती है ।

1.5 'गर्भधारण संबंधी स्थानापन्नता' इस अर्थ में संपूर्ण है कि आईवीएफ की प्रक्रिया द्वारा सृजित भ्रूण को स्थानापन्न मां में आरोपित किया जाता है । 'पारंपरिक स्थानापन्नता'

को आंशिक या आनुवांशिक रूप से अनुबंधित मातृत्व कहा जा सकता है क्योंकि स्थानापन्न मां का आशयित पिता के वीर्य से गर्भधारण कराया जाता है जो उसे आनुवांशिक और गर्भधारण संबंधी मां - दोनों ही - बनाता है ; शिशु कार्य कराने वाले पिता और स्थानापन्न मां द्वारा की गई कमी-पूर्ति में भागीदार होता है ।

1.6 स्थानापन्नता वाणिज्यिक है या परमार्थवादी यह इस पर निर्भर करता है कि स्थानापन्न अपने गर्भ के लिए या शिशु को त्यागने के लिए वित्तीय अनुतोष प्राप्त करती है या नहीं ।

भारत - जनन संबंधी पर्यटन मंजिल

1.7 वाणिज्यिक स्थानापन्न करारों में, स्थानापन्न मां कार्य कराने वाले दम्पत्ति के साथ या एकल माता-पिता के साथ गर्भधारण करने का बोझ वहन करने के लिए करार करती है । गर्भ की अवधि पूरी करने के लिए उसके सहमत होने के प्रतिफलस्वरूप उसे कार्य कराने वाले अभिकर्ता द्वारा संदाय किया जाता है । भारत में सामान्य फीस लगभग 25,000 डालर से लेकर 30,000 डालर तक है , जो अमेरिका के समान विकसित देशों में की फीस का लगभग एक तिहाई है । इसने भारत को ऐसे विदेशी दम्पतियों के लिए अनुकूल ठिकाना बना दिया है जो बांझपन के लिए लागत-प्रभावी उपचार चाहते हैं और चिकित्सीय पर्यटन की एक संपूर्ण शाखा स्थानापन्न व्यवसाय के ऊपर फल-फूल रही है । एआरटी उद्योग अब 25,000 करोड़ रुपए का स्वर्ण वर्तन बन गया है । गुजरात में एक छोटे शहर आनंद ने वाणिज्यिक स्थानापन्नता का कार्य बाहर से कराने के लिए सुभिन्न प्रसिद्धि अर्जित कर ली है । यह प्रतीत होता है कि भारत में गर्भाशय किराये के लिए है, जो विदेशियों के लिए शिशु में और भारतीय स्थानापन्न मांओं के लिए डालरों में बदल जाते हैं ।

विधिक और नैतिक विवाद्यक

1.8 स्थानापन्नता से जुड़े हुए नैतिक विवाद्यक पर्याप्त स्पष्ट हैं किंतु नेत्र खोल देने

वाली प्रकृति के हैं । इसके अंतर्गत यह आलोचना है कि स्थानापन्नता से शिशु का पण्यकरण होता है, जो मां और शिशु के बीच बंधन को तोड़ देता है, प्रकृति के साथ हस्तक्षेप करता है और विकाशील देशों में ऐसी गरीब स्त्रियों के शोषण का पथप्रदर्शन करता है जो अपना शरीर धन के लिए बेचती हैं । कभी-कभी मनोवैज्ञानिक विचारण सफल स्थानापन्न व्यवस्था के मार्ग में आ सकते हैं ।

1.9 जहां तक स्थानापन्नता की संकल्पना की वैधता का संबंध है वहां यह वर्णित करना लाभप्रद होगा कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 का अनुच्छेद, 16.1 अन्य बातो के साथ, कहता है कि 'जाति, राष्ट्रीयता या धर्म के कारण किसी परिसीमा के बिना पूर्ण वय के पुरुष और स्त्री विवाह करने और परिवार पाने का अधिकार रखते हैं । भारत में भी न्यायपालिका ने मानव के जननात्मक अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी है । उदाहरण के लिए **बी. के. पार्थसारथी** बनाम **आंध्र प्रदेश सरकार**[1] में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने किसी व्यक्ति को ''जनन स्वायतत्ता के अधिकार'' को उसके ''निजीपन के अधिकार'' के मुखौटे के रूप में मान्यता दी है और उसने **जैक टी. स्कीनर** बनाम **स्टेट ऑफ ओकलाहोमा**[2] में अमेरिका के उच्चतम न्यायालय के उस विनिश्चय से सहमति प्रकट की है, जिसने जनन के अधिकार को ''मनुष्य के आधारभूत सिविल अधिकारों में से एक'' के रूप में विशेषीकृत किया है । **जावेद** बनाम **हरियाणा राज्य**[3] में भी, यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने पंचायती राज निर्वाचन के लिए लड़ने से किसी व्यक्ति को विवर्जित करने के लिए दो जीवित बच्चों के संन्नियम को अभिनिर्धारित किया है किंतु वह ऐसा कहने से रूका है कि प्रजनन का अधिकार एक आधारभूत मानव अधिकार नहीं है ।

1.10 अब, यदि जननात्मक अधिकार संवैधानिक संरक्षण प्राप्त करता है तो स्थानापन्नता को भी, जो बांझ दम्पत्ति को उस अधिकार का प्रयोग करने की अनुज्ञा देती है, समान

---

[1] ए. आई. आर. 2000 ए. पी. 156.
[2] 316 यू. एस. 535.
[3] (2003) 8 एस.सी.सी. 369.

संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होता है । तथापि, विभिन्न देशों में अधिकारताओं ने स्थानापन्नता का वैधकरण करने के संबंध में विभिन्न विचार व्यक्त किए हैं । इंग्लैंड में स्थानापन्न व्यवस्थाएं वैध हैं और सरोगेसी अरेंजमेंट एक्ट, 1985 विज्ञापन करने का और वाणिज्यिक स्थानापन्नता के अन्य पहलूओं का प्रतिषेध करता है । अमेरिका में भी वाणिज्यिक स्थानापन्नता बहुत से राज्यों में प्रतिषिद्ध मालूम होती है । प्रसिद्ध **बेबी एम. केस**[4] में न्यूजर्सी सुप्रीम कोर्ट, यद्यपि उसने "शिशु के सर्वोत्तम हित" में कार्य कराने वाले माता-पिता को अभिरक्षा देना अनुज्ञात किया है, इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि स्थानापन्नता संविदा लोक नीति के विरुद्ध है । इस पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए कि अमेरिका में स्थानापन्नता विधियां विभिन्न राज्यों में विभिन्न हैं ।

1.11 यदि अमेरिका में 1988 के बेबी एम. केस ने बहुतों को विधिक विचारण पर रोक लगाने के लिए मजबूर किया, तो उस वर्ष ने आस्ट्रेलिया को विक्टोरिया में किर्कमेन सिस्टर्स के मामले के ऊपर सामाजिक उद्‌भेदनों के साथ संर्घष करते भी देखा । लिंडा किर्कमेन अपनी बड़ी बहन मैगी के अनुवांशिक शिशु को गर्भ में धारण करने के लिए सहमत हो गई थी । एलिक नामक शिशु बालिका को मैगी और उसके पति को जन्म उपरांत सौंप दिया गया था । किंतु, इसने बहुत अधिक सामाजिक और विधिक बहस को जन्म दिया और शीघ्र ही आस्ट्रेलियाई राज्यों ने स्थानापन्नता संबंधी विधिक उलझनों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया । अब आस्ट्रेलिया में वाणिज्यिक स्थानापन्नता अवैध है, स्थानापन्नता व्यवस्था के संबंध में संविदाएं अप्रवर्तनीय हैं और किसी स्थानापन्न व्यवस्था की याचना करने के लिए कोई संदाय अवैध है ।

मातृत्व - एक पहेली

1.12 कैसे स्थानापन्नता मातृत्व के बारे में विधिक उलझनों की व्यूहरचना को जनम दे

---

[4] 537 ए. 2डी. 1227.

सकती है, यह **जेसी बी.** बनाम **सुपीरियर कोर्ट**[5] द्वारा दर्शित किया गया था । अज्ञात दानकर्ताओं के वीर्य और डिम्ब का प्रयोग करके स्थानापन्न मां से एक शिशु को जन्म दिया गया था क्योंकि बांझ दम्पत्ति विट्रो में गर्भधारण तकनीकियों का उपयोग करते हुए अपना स्वयं का भ्रूण सृजित करने में असमर्थ था । दम्पत्ति ने न्यूजर्सी के बेबी एम. केस के कारण जिसमें स्थानापन्न मां ने यह कहकर बेबी को सौंप देने से इनकार कर दिया था कि वह उसकी जैवकीय मां थी और शिशु को बड़ा करने का उसका अधिकार कार्य कराने वाले माता-पिता से पहले था, स्थानापन्न से उसके स्वयं के डिम्बों का प्रयोग करने के लिए कहने के स्थान पर अज्ञात दाताओं का उपयोग करने का चयन किया । इस प्रकार शिशु के पास ऐसे 5 व्यक्ति ये जो मातृत्व-पितृत्व के लिए दावा कर सकते थे - आनुवांशिक मां, कार्य कराने वाली मां, स्थानापन्न मां, आनुवांशिक पिता और कार्य कराने वाला पिता । बेबी जेसी के जन्म के एक मास पूर्व आशयित माता-पिता जॉन और लुआन पृथक हो गए और जॉन ने स्थानापन्न संविदा के अधीन अपनी बाध्यताओं को बिखंडित करने की मांग की जिससे कि जेसी के लिए शिशु भरण-पोषण के लिए संदाय करने से बचा जा सके । लुआन ने अपने पूर्व पति से अभिरक्षा और भरण-पोषण दोनों की मांग की । न्यायालय में लड़ाई चलती रही और तीन साल तक जेसी का कोई विधिक माता-पिता नहीं रहा । कैलीफोर्निया के एक न्यायालय ने लुआन को बेबी की स्थायी अभिरक्षा प्रदान की और जॉन को शिशु के भरण-पोषण के लिए संदाय करने का आदेश दिया ।

1.13 विभिन्न देशों ने इस विवाद्यक को संबोधित करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण अपनाये हैं । यू. के. में ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोलोजी एक्ट, 1990 की धारा 27(1) के अनुसार स्थानापन्न मां विधिक मां है । उक्त अधिनियम की धारा 30 एक ही समय पर यह भी उपबंध करती है कि यदि स्थानापन्न मां शिशु को कार्य कराने वाले माता-पिता के शिशु के रूप में माने जाने के लिए सहमति दे देती है तो न्यायालय उस

[5] 42 कलकत्ता. अपील चौथा 718 (1996).

आशय का माता-पिता संबंधी आदेश कर सकता है । यह धारा आदेश करने या शिशु को सौंपने के प्रतिफलस्वरूप धन देने या लेने को या अन्य सुविधा (युक्तियुक्त रूप से उपगत व्ययों से भिन्न) देने या लेने का भी प्रतिषेध करती है ।

1.14 भारत में एआरटी क्लीनिकों के प्रत्यायन, पर्यवेक्षण और विनियमन के लिए राष्ट्रीय मार्ग-दर्शक सिद्धांतों के अनुसार, जो 2005 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी द्वारा विकसित किए गए थे, स्थानापन्न मां को विधिक मां नहीं समझा जाता है । जन्म प्रमाण-पत्र आनुवांशिक माता-पिता के नाम में बनाया जाता है । गेस्टेशनल सरोगेसी एक्ट, 2004 के अनुसार अमेरिका में स्थिति भारत के काफी समरूप है ।

भारतीय बेबी एम. केस का मामला

1.15. **बेबी मंजी यमदा** बनाम **भारत संघ**[6] का मामला शिशु मंजी यमदा के जन्म/अभिरक्षा से संबंधित है, जिसे आनंद, गुजरात में एक स्थानापन्न मां ने स्थानापन्न करार के अधीन, जो जापान के डा. युकीयमदा और डा. इकूफमी यमदा द्वारा उसके साथ किया गया था, जन्म दिया था । वीर्य डा. इकूफमी यमदा से आया था किंतु डिम्ब किसी दानकर्ता से, डा. युकीयमदा से नहीं, आया था । कार्य कराने वाले माता-पिता के बीच वैवाहिक झगड़े थे । आनुवंशिक पिता डा. इकूफमी यमदा ने शिशु की अभिरक्षा लेने की इच्छा व्यक्त की किंतु उसे अपने वीज़ा की समाप्ति के कारण जापान लौटना था । आनंद में नगरपालिका ने आनुवांशिक पिता के नाम को दर्शित करते हुए एक जन्म प्रमाण-पत्र जारी कर दिया । शिशु का जन्म 25.07.2008 को हुआ था और उसे गुजरात में विधि और व्यवस्था की स्थिति के कारण जयपुर में आर्य अस्पताल में 03.08.2008 को ले जाया गया था । शिशु को अत्यधिक आवश्यक देखभाल, जिसके अंतर्गत किसी स्त्री द्वारा स्तनपान भी था, प्रदान

की गई थी ।

1.16 शिशु मंजी की दादी, सुश्री एमिको यमदा जापान से शिशु की देखभाल करने के लिए वायु मार्ग द्वारा आई और संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय में याचिका फाइल की । न्यायालय ने शिशु को बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के अधीन गठित राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग को सौंप दिया । अंततोगत्वा बेबी मंजी अपने आनुवंशिक पिता और दादी के संरक्षण में जापान चली गई ।

इजराइल के गे जोड़े का मामला

1.17 उसके पश्चात् समाचारों में इजराइल के गे जोड़े का मामला था[7] । योनाथन और ओमर का गे जोड़ा इजराइल में दत्तक ग्रहण नहीं कर सकता था या स्थानापन्न मां को नहीं प्राप्त कर सकता था । वे मुंबई आ गए । योनाथन ने अपने वीर्य को दिया । उन्होंने एक स्थानापन्न मां का चयन किया । बेबी इव्यातार का जन्म हुआ । गे जोड़ा पुत्र इव्यातार को इजराइल ले गया । इजराइल की सरकार ने बेबी का पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज तैयार किए जाने के पूर्व उनका पितृत्व साबित करने के लिए उनसे डीएनए परीक्षण कराने की अपेक्षा की थी ।

---

[6] जे. टी. 2008 (11) एस.सी. 150.

[7] द टाइमस ऑफ इंडिया, मुंबई, 18.11.2008.

II सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक और नियम, 2008 का प्रारूप

2.1 स्थानापन्नता संबंधी विधिक विवाद्यक, जैसा हमने देखा है, बहुत जटिल हैं और उन्हें व्यापक विधान द्वारा संबोधित किए जाने की आवश्यकता है । इतने वर्षों तक लंबी प्रतीक्षा के पश्चात् भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक और नियम, 2008 का प्रारूप प्रस्तुत किया है । प्रारूप विधेयक के 9 अध्यायों में 50 खंड अंतर्विष्ट हैं ।

2.2 यह विधेयक स्थानापन्न करारों और उनकी विधिक प्रवर्तनीयता को अभिस्वीकार करता है । यह सुनिश्चित करेगा कि स्थानापन्न करारों को अन्य संविदाओं के समरूप माना जाए और भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के सिद्धांत और अन्य विधियां इस प्रकार के करारों को लागू हों । यह विधेयक उपबंध करता है कि एकल व्यक्ति भी स्थानापन्न व्यवस्थाएं कर सकते हैं ।

2.3 यह विधेयक उपबंध करता है कि कोई विदेशी या विदेशी जोड़ा, जो भारत में निवासी नहीं है या कोई अनिवासी भारतीय व्यक्ति या जोड़ा, जो भारत में स्थानापन्नता चाहता है, किसी ऐसे स्थानीय संरक्षक को नियुक्त करेगा, जो विधिक रूप से उस विदेशी या विदेशी जोड़े या स्थानीय संरक्षक को शिशु को दिए जाने तक गर्भ के धारण और उसके पश्चात् स्थानापन्न की देखभाल करने के लिए विधिक रूप से उत्तरदायी होगा । यह आगे उपबंध किया गया है कि कार्य कराने वाले माता-पिता या एकल माता-पिता ऐसी किसी असामान्यता का ध्यान रखे बिना जो शिशु में हो सकती है, शिशु की अभिरक्षा स्वीकार करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होंगे और ऐसा करने से इनकार करना अपराध का गठन करेगा । स्थानापन्न मां शिशु के ऊपर अपने सभी माता-पिता संबंधी अधिकारों का त्याग

करेगी । स्थानापन्नता के माध्यम से जन्म लेने वाले किसी शिशु के संबंध में जन्म-प्रमाण पत्र पर बेबी के आनुवांशिक माता-पिता के/ एकल माता-पिता का नाम होंगे/होगा ।

2.4 विधेयक यह भी उपबंध करता है कि एआरटी के उपयोग द्वारा किसी विवाहित जोड़े से या किसी एकल व्यक्ति से उत्पन्न किसी शिशु के बारे में यह उपधारणा की जाएगी कि वह यथा स्थिति उस जोड़े या एकल व्यक्ति का वैध शिशु है । यदि कार्य कराने वाला जोड़ा स्थानापन्नता के लिए करार के पश्चात् किंतु शिशु के जन्म लेने के पूर्व पृथक् हो जाता है या उसका विवाह-विच्छेद हो जाता है तो भी शिशु को जोड़े का विधिसम्मत शिशु समझा जाएगा ।

2.5 यह विधेयक आगे उपबंध करता है कि कोई जोड़ा या कोई व्यक्ति किसी एक समय पर एक स्थानापन्न से अधिक की सेवाएं नहीं लेगा । कोई जोड़ा एक ही समय पर किसी स्त्री में और किसी स्थानापन्न में भ्रूणों का अंतरण नहीं कराएगा ।

2.6 विधेयक के अध्याय - I में परिभाषाएं अंतर्विष्ट हैं । अध्याय - II नीतियों, विनियमों और मार्ग-दर्शक सिद्धांतों को अभिकथित करने के लिए एआरटी के लिए राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड के और एआरटी के लिए राज्य बोर्डों के गठन का और एआरटी क्लीनिकों का रजिस्टर करने के लिए प्राधिकारियों के गठन का उपबंध करता है । अध्याय-III एआरटी क्लीनिकों के रजिस्ट्रीकरण करने के लिए प्रक्रिया अभिकथित करता है । अध्याय-IV एआरटी क्लीनिकों के कर्तव्यों को विहित करता है । कर्तव्यों में से एक यथास्थिति जोड़ों या व्यक्तियों को एआरटी के उपयोग द्वारा जन्म लेने वाले किसी शिशु के अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना है । कर्तव्यों के अंतर्गत यह बाध्यता सम्मिलित है कि किसी जोड़े को पूर्व निर्धारित लिंग के किसी शिशु को देने के लिए प्रस्ताव नहीं किया जाएगा । अध्याय-V युग्मकों, भ्रूणों और स्थानापन्नों को प्राप्त करने के स्रोत, उनके भंडारण, उन्हें संभालने और उनका रिकार्ड रखने के लिए उपबंध करता है । अध्याय VI भ्रूणों पर

अनुसंधान को विनियमित करता है । अध्याय- VII माता-पिता, दाताओं, स्थानापन्नों और शिशुओं के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में विचार-विमर्श करता है । अध्याय - VIII अपराधों और उनके लिए शास्तियों के बारे में है अध्याय - IX 'प्रकीर्ण' नाम से है और इसके अंतर्गत अनुसंधान करने और अभिलेख अभिगृहीत आदि करने की शक्ति और नियम तथा विनियमों को बनाने की शक्ति सम्मिलित है । यह विधान प्रवृत्त अन्य सुसंगत विधियों के अतिरिक्त होगा, और न कि उनके अल्पीकरण में ।

III. स्थानापन्नता - 'अभिशाप या वरदान' पर सेमिनार

3.1 स्थानापन्नता - 'अभिशाप या वरदान' पर एक सेमिनार इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 13.02.2009 को की गई थी । विचार-विमर्श पूर्वोक्त प्रारूप विधेयक और नियमों पर केंद्रित किया गया था । विधेयक में कतिपय कमियां देखी गईं थीं ।

3.2 यह विधेयक स्थानापन्नता, एआरटी और स्थानापन्न करारों से उद्भूत होने वाले विवादों के परिनिर्धारण के लिए किसी न्यायालय या अर्ध-न्यायिक मंच का न तो सृजन करता है और न उसे अभिहित या प्राधिकृत करता है । विवाद, अन्य बातों के साथ मातृत्व - पितृत्व, राष्ट्रीयता, पासपोर्ट के जारी करने, वीज़ा प्रदान करने से संबंधित हो सकते हैं । पहले से ही दत्तक ग्रहण और संरक्षता पर विरोध है क्योंकि गैर हिंदू भारत में दत्तक ग्रहण नहीं कर सकते हैं । ऐसे विवादों का किसी शिशु को भारत से बाहर किसी देश में ले जाने के लिए समाधान करने की आवश्यकता है ।

3.3 उपर्युक्त सेमिनार में एक सुझाव सामने आया कि यदि किसी विशेषीकृत न्यायालय को "स्थानापन्न न्यायालय" के नाम से सृजित किया जाता है तो वह व्यापक रूप से सभी उपर्युक्त समस्याओं को विवादों का अधिनिर्णय करने के लिए देख सकता है ।

3.4 सेमिनार में विचार-विमर्श के लिए विशेष रूप से सामने लाए गए मुद्दों में निम्नलिखित सम्मिलित है :

(i) स्थानापन्न बालकों की अनन्य विधिक अभिरक्षा प्राप्त करने के लिए जैवीय माता-पिता को क्या उपचार उपलब्ध होगा,

(ii) स्थानापन्न मां के अधिकारों का कैसे पूर्णतया अधित्यजन किया जा सकता है ,

(iii) कैसे डिम्ब या वीर्य देने वाले के अधिकारों को निर्बंधित किया जा सकता है ,

(iv) कैसे स्थानापन्न बेबी की आनुवांशिक संरचना को स्थापित किया जा सकता है और प्रमाणिकता के साथ अभिलिखित किया जा सकता है,

(v) क्या किसी एकल या गे माता-पिता पर किसी स्थानापन्न शिशु का अभिरक्षा संबंधी माता-पिता होने के लिए विचार किया जा सकता है,

(vi) किसी स्थानापन्न शिशु की अभिरक्षा के संबंध में विच्छिन्न-विवाह वाले जैविक माता-पिता की प्रास्थिति क्या होगी, और

(vii) क्या जैविक माता-पिता/माता-पिताओं को स्थानापन्न शिशु का विधिक माता-पिता माना जा सकता है ।

3.5 सेमिनार में विचार-विमर्श किए गए उत्तर निम्नलिखित थे :

(क) भारत में स्थानापन्नता वैध है क्योंकि कोई भारतीय विधि स्थानापन्नता का प्रतिषेध नहीं करती है । स्थानापन्नता करारों की वैधता का अवधारण करने के लिए भारतीय संविदा अधिनियम लागू होगा और उसके पश्चात् किसी ऐसे करार की प्रवर्तनीयता सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 के अधिकार क्षेत्र के भीतर होगी । अनुकल्पतः जैविक माता-पिता स्थानापन्न शिशु के संरक्षक के रूप में नियुक्ति के आदेश या किसी घोषणा के लिए संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के अधीन कोई आवेदन प्रस्तुत कर सकता है/ सकते हैं ।

(ख) स्थानापन्नता को शासित करने के लिए किसी विधि की अनुपस्थिति में

2005 के मार्ग-निर्देशक सिद्धांत[8] लागू होते है । किंतु गैर कानूनी होने के कारण, वे न्यायालय में प्रवर्तनीय या विचारयोग्य नहीं है । मार्ग-दर्शक सिद्धांतों के पैरा 3.10.1 के अधीन स्थानापन्नता के माध्यम से जन्म लेने वाले किसी शिशु को अनुवंशिक (जैविक) माता-पिता द्वारा अवश्य दत्तक ग्रहण किया जाना चाहिए । तथापि, ऐसा उन माता-पिताओं के मामले में संभव नहीं हो सकता है जो भारत में दत्तक ग्रहण नहीं कर सकते है ।

(ग) संविदा अधिनियम की धारा 10 के अधीन सभी करार संविदा है, यदि वे संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए और विधिपूर्ण उद्देश्य के साथ किए जाते हैं, और प्रकट रूप से शून्य घोषित नहीं किए जाते हैं । अतः यदि कोई स्थानापन्न करार इन शर्तों को पूरा करता है तो वह प्रवर्तनीय संविदा है । उसके पश्चात् यह सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 के अधीन स्थानापन्नता करार से संबंधित सभी विवादों के अधिनिर्णय के लिए और प्रार्थना किए गए अनुतोष के बारे में घोषणा/व्यादेश के लिए किसी सिविल न्यायालय के समक्ष किसी सिविल वाद का विषय हो सकता है ।

(घ) आज, यह कहा जा सकता है कि किसी एकल या किसी गे माता-पिता के बारे में किसी स्थानापन्न व्यवस्था से जन्म लेने वाले शिशु का आनुवंशिक या जैविक माता-पिता होने के आधार पर शिशु का अभिरक्षक माता-पिता होने के लिए विचार किया जा सकता है । जापनी बेबी मंजी यमदा का मामला और इजराइल के गे जोड़े का मामला जिसने भारत में शिशु को पितृत्व दिया था यह साबित करने के लिए स्पष्ट उदाहरण हैं कि यह संभव है । एआरटी के माध्यम से जनम लेनेवाले शिशुओं की वैधता के संबंध में

---

[8] ऊपर पैरा 1.14.

मार्ग-दर्शक सिद्धांतों के पैरा 3.16.1 के अधीन (जो उच्चतम न्यायालय में जापानी बेबी के मामले में दावा का आधार था), यह दावा किया जा सकता है । तथापि संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम के अधीन केवल संरक्षकता के लिए याचिका में और/या सिविल न्यायालय में घोषणा के लिए किसी वाद में, अनन्य अभिरक्षा संबंधी अधिकारों का किसी सक्षम न्यायालय द्वारा साक्ष्य के समझने पर और इस संबंध में सभी दावों पर विचार करने पर अधिनिर्णय किया जा सकता है ।

(ङ) अनिवार्यतः यह एक प्रश्न है जो पक्षकारों के बीच स्थानापन्नता करार के अनुसार अवधारण की अपेक्षा करेगा । प्रत्यक्ष रूप से किसी विच्छिन्न-विवाह माता-पिता में से एक के द्वारा किसी स्थानापन्न शिशु की अभिरक्षा का दावा करने के लिए, यदि दूसरा माता-पिता उसका दावा नहीं करता है तो, कोई रोक नहीं होगी । तथापि, यदि अभिरक्षा के संबंध में मुकदमा लड़ा जाता है तो वह सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा अधिनिर्णय की अपेक्षा कर सकता है ।

(च) इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि जैविक माता-पिता उनके और स्थानापन्न मां के बीच निष्पादित किए गए स्थानापन्नता करार के आधार पर शिशु के विधिक माता-पिता समझे जाएंगे । एआरटी के माध्यम से जन्म लेने वाले शिशु की वैधता के बारे में मार्ग-दर्शक सिद्धांतों के पैरा 3.16.1 के अधीन यह कहा गया है कि "एआरटी के माध्यम से जन्म लेने वाले किसी शिशु के बारे में यह उपधारणा की जाएगी कि वह दोनों माता-पिता की सहमति से, विवाह से, पैदा हुआ दम्पत्ति की धर्मज संतान है और उसे माता-पिता के सभी देखभाल संबंधी, भरण-पोषण और उत्तराधिकार संबंधी अधिकार प्राप्त हैं । 2008 के प्रारूप विधेयक और नियम के अनुसार

भी, किसी विवाहित दम्पत्ति, किसी अविवाहित जोड़े, एकल माता-पिता या किसी एकल पुरुष या स्त्री से जन्म लेने वाला शिशु, यथास्थिति, उस जोड़े किसी पुरुष या स्त्री की धर्मज संतान होगा ।

(छ) तथापि विवादयोग्य प्रश्न, जो अवधारण के लिए उत्पन्न हो सकता है इस बारे में है कि क्या किसी स्थानापन्नता व्यवस्था में पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण करने वाला कोई न्यायिक अधिमत ऐसे किसी विदेशी जैविक माता-पिता के संबंध में, जो स्थानापन्न शिशु को अपने उद्भव के देश या स्थायी निवास स्थान के लिए ले जाना चाहते हों, अनिवार्य है । यह कहा जा सकता है कि या तो किसी सिविल न्यायालय से कोई घोषणा और/या कोई संरक्षता संबंधी आदेश अवश्य होना चाहिए, जो सभी पक्षकारों के अधिकारों को निश्चायक रूप से स्थापित कर सके और उनके किसी दावे के संबंध में उद्भूत होने वाली किसी भावी विसंगति का निवारण कर सके।

IV. निष्कर्ष और सिफारिश

4.1 स्थानापन्नता से संबंधित विधिक विवाद्यक बहुत जटिल है और उन्हें व्यापक विधान द्वारा संबोधित किए जाने की आवश्यकता है । स्थानापन्नता में विभिन्न हितों का संघर्ष अंतर्वलित हैं और उनका समाज की प्राथमिक इकाई अर्थात् कुटुम्ब पर समझ में न आने योग्य प्रभाव होता है । इस उलझे हुए मुद्दे में विधि का हस्तक्षेप न करना ऐसे समय पर उचित नहीं होगा जब विधि को मानव स्वतंत्रता के प्रबल रक्षक के रूप में और सकारात्मक हकदारियों के वितरण के उपकरण के रूप में कार्य करना है । इसके साथ ही ऐसे सामाजिक उद्देश्यों और प्रयोजनों के उचित निर्धारण के बिना, जिनकी पूर्ति स्थानापन्नता कर सकती है, अस्पष्ट नैतिक आधारों पर उसका प्रतिषेध करना अतार्किक होगा । सक्रिय विधायी हस्तक्षेप नई प्रौद्योगिकी अर्थात् एआरटी का सही उपयोग सुकर बनाने के लिए और स्थानापन्नता को वैध बनाने के लिए, अब तक अपनाई गई आवरणात्मक पहुंच को छोड़ने के लिए, अपेक्षित है । इस समय की आवश्यकता यह है कि परमार्थवादी स्थानापन्न व्यवस्थाओं को वैध बनाकर एक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाए और इसके व्यवसायीकरण का प्रतिषेध किया जाए ।

4.2 भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा तैयार किया गया प्रारूप विधेयक त्रुटियों से भरा हुआ, और केवल इतना ही नहीं अपूर्ण भी है । तथापि, यह न केवल एआरटी क्लीनिकों को किंतु स्थानापन्न शिशु के अधिकारों सहित किसी स्थानापन्नता के सभी पक्षकारों के अधिकारों और बाध्यताओं को विनियमित करने के लिए विधान तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक प्रकाश स्तंभ है । किसी स्थानापन्नता के पक्षकारों के अधिकारों और दायित्वों और स्थानापन्न शिशु के अधिकारों के संबंध में अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय, जिन्हें प्रस्तावित विधान में सम्मिलित किया जाना चाहिए, यथा निम्नलिखित कहे जा सकते हैं :

(1) स्थानापन्नता व्यवस्था पक्षकारों के बीच संविदा द्वारा शासित होती रहेगी, जिसमें स्थानापन्न मां की शिशु को गर्भ में रखने के लिए सहमति की अपेक्षा करने वाले सभी निबंधन, उसके लिए उसके पति और अन्य कुटुंब के सदस्यों का करार, कृत्रिम वीर्य सेचन की चिकित्सीय प्रक्रियाएं, पूर्ण अवधि तक शिशु को गर्भ में धारण करने के लिए सभी युक्तियुक्त व्ययों की प्रतिपूर्ति, कार्य कराने वाले माता-पिता (माता-पिताओं) को पैदा हुए शिशु को सौंपने की रजामंदी, आदि सम्मिलित होंगे ।

(2) स्थानापन्न व्यवस्था के अंतर्गत कार्य कराने वाले जोड़े या व्यक्ति की शिशु के जन्म के पूर्व मृत्यु हो जाने या आशयित माता-पिता के बीच विवाह-विच्छेद होने और पश्चात्वर्ती शिशु को लेने के लिए किसी की रजामंदी न होने की घटना में स्थानापन्न शिशु के वित्तीय भरण-पोषण के लिए उपबंध होने चाहिए ।

(3) स्थानापन्न संविदा में आवश्यक रूप से स्थानापन्न मां के लिए जीवन बीमा कराने का उपबंध होना चाहिए ।

(4) आशयित माता-पिता में से एक दाता भी होना चाहिए क्योंकि शिशु के साथ प्रेम और प्यार का बंधन प्रारंभ में जैविक संबंध से होता है । इसके अतिरिक्त इससे विभिन्न प्रकार के शिशु दुरुपयोग के अवसर, जो दत्तक ग्रहण के मामलों में देखे गए हैं, कम हो जाएंगे । उस दशा में जब कोई आशयित माता-पिता एकल है तो वह स्थानापन्न शिशु को पाने के योग्य होने के लिए दाता होना चाहिए । अन्यथा दत्तक ग्रहण शिशु को पाने का ऐसा मार्ग है जिसका सहारा, यदि जैविक (प्राकृतिक) माता-पिता और दत्तक ग्रहण करने वाले माता-पिता भिन्न तो, लिया जाता है ।

(5) विधान को स्वयं स्थानापन्न शिशु को कार्य कराने वाले माता-पिता (माता-पिताओं) की धर्मज संतान के रूप में, दत्तक ग्रहण या किसी संरक्षक की घोषणा के लिए किसी आवश्यकता के बिना, मान्यता देनी चाहिए ।

(6) स्थानापन्न शिशु के जन्म प्रमाण-पत्र में केवल कार्य कराने वाले माता-पिता (माता-पिताओं) का/के नाम होना/होने चाहिए ।

(7) दाता के और साथ ही स्थानापन्न मां के एकांतता के अधिकार का संरक्षण किया जाना चाहिए ।

(8) लिंग का चयन करने वाली स्थानापन्नता का प्रतिषेध किया जाना चाहिए ।

(9) गर्भपात के मामले गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 के द्वारा ही शासित होने चाहिए ।

4.4 हम तदनुसार सिफारिश करते हैं ।

ह/-

(डा. न्यायमूर्ति एआर. लक्ष्मणन्)

अध्यक्ष

ह/-

(प्रा. (डा.) ताहिर महमूद)

सदस्य

ह/-

(डा. ब्रह्म ए. अग्रवाल)

सदस्य-सचिव